न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0–3,उन्नाव।

सरकार बनाम सुपुर्दगार शैलेन्द्र

मु0सं0–200/19

मु0अ0सं0–263/07

धारा–4/10 जी0टी0पी0एक्ट

थाना–बीघापुर

जिला–उन्नाव।

सी0एन0आर0नं0 यू0पी0 यू0एन0–4025301–2019

07–02–2020

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। कोई उपस्थित नही।

मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया। पत्रावली के सम्यक परिशीलन के आधार पर यह विदित है कि विवेचक अशोक कुमार सिंह द्वारा मु0अ0सं0–263/07 थाना बीघापुर में अभियुक्तगण राम पाल तथा बब्लू के विरूद्ध धारा–4/10 जी0टी0पी0 एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। उपरोक्त दोनों ही अभियुक्तगण द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उनके विरूद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है। पत्रावली सुपुर्दगार को नोटिस हेतु नियत है। प्रस्तुत मुकदमें में अभियुक्तगण के पास से बरामद हरे महुआ की लकड़ी को पुलिस द्वारा सुपुर्दगार शैलेन्द्र कुमार की सुपुर्दगी दिया जाना पत्रावली पर दाखिल फर्द बरामदगी से स्पष्ट है। उक्त लकड़ी का विधि अनुसार निस्तारण पश्चात उसके आगम का सरकारी राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित एवं आवश्यक है। अतः थानाध्यक्ष बीघापुर को इस सम्बन्ध में आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण के माल मुकदमाती को सुपुर्दगार शैलेन्द्र कुमार से प्राप्त कर उसका नियमानुसार निस्तारण कराने के पश्चात उससे प्राप्त धनराशि को सरकारी राजकोष मे जमा कराया जाना सुनिश्चित करे। अनुपालन हेतु आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष को अविलम्ब प्रेषित की जाये। मुकदमें में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही है अतः पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(प्रमोद सिंह यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट
सं0–3,उन्नाव।
जे0ओ0 कोड यू0पी0–1977